

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 18 अगस्त, 1994 (क्रमांक 27, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

- (1) श्री सुरेन्द्र नाथ, पंजाब के राज्यपाल
- (2) श्री वित्तीर सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (3) श्री माधव गोपाल नासेरी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (4) श्री केशर सिंह चौहान, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (5) श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (6) श्री मुरलीधर असाठी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (7) श्री भाकरू जी पाटिल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (8) श्री व्यंकटेश विष्णु द्रविड़, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी-मई 1994 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मई, 1994 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि :-

" सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है."

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री बाबूलाल गौर, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री बच्चन नायक, सदस्य, मुरैना जिले की उप जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामलखन सिंह (भिण्ड), श्री बच्चन नायक, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, बालाघाट जिले के रूपबर धानान्तर्गत नक्सलवादियों के हमले से पुलिस कार्मियों की हुई मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. सभापति तालिका की चौबटा

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 25 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

11. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में अतिवृष्टि से जन-धन की हानि के संबंध में सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, जालम सिंह पटेल, रामलखन शर्मा, डॉ. रमन सिंह, कंकर मुंजारे, बच्चन नायक, बृजमोहन अग्रवाल, रविन्द्र चौबे, डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सुश्री उमा यादव, सर्वश्री छत्रपति सिंह, भूपेन्द्र सिंह, ताराचन्द साहू, सियाराम साहू, रामेश्वर अखण्ड, विक्रम वर्मा, श्रीमती जयश्री बेनरजी, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

निर्धारित
समय
1 घन्टा
30 मि.

भोपाल :
दिनांक : 17 अगस्त, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा